B.P.S. EDUCATIONAL INSTITUTION OF PHARMACY

Ref. No.: [illegible] Date: [illegible]

प्रेषित,

[illegible]

[illegible]

विषय – बी. पी. एस. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एवं लाइफ साइंस (1994) में संचालित कोर्स D.Pharm सत्र 2023-25 के लिए अध्यक्ष द्वारा विजिटर ऑफ कोर्स के अध्यक्ष में।

महोदय,

अधिस्थित अवगत कराना है कि संस्था बी. पी. एस. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एवं लाइफ साइंस में D.Pharm कोर्स संचालित है। अतः हमारी संस्था के D.Pharm सत्र 2023-25 हेतु शासन द्वारा निर्धारित फीस स्ट्रक्चर लागू करते हुए अध्यक्ष द्वारा की अध्यक्षता अपनाने हेतु प्रस्तुत है।

अपनी अति कृपा करें।

निदेशक

Director
B.P.S. Educational
Institute of Pharmacy
[illegible]

संलग्न—

1. BSL APPROVAL
2. PCI APPROVAL
3. अध्यक्ष द्वारा फीस स्ट्रक्चर अनुमोदित प्रमाण प्रति
4. सामान्य निर्देश एवं फीस स्ट्रक्चर प्रपत्र

Campus – Vidya Vihar, Near Marvel Sweet, G.T. Road Etah-207001 (U.P.)
Contact – [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

पत्रांक:- [illegible]/2023/[illegible] **दिनांक: [illegible]/2023**

:-[illegible]:-

[illegible]

[illegible]

[illegible] : 1858-G.P.S. EDUCATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY, E1A

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	[illegible] द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या	पत्रांक द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

पाठ्यक्रम हेतु शर्तें

✓ [illegible] द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूर्ण करना होगा।

✓ [illegible] 2020, [illegible] 2020 [illegible] 2020-21 [illegible] 2021-22 [illegible] 2022-23 [illegible] 2023-24 [illegible] 2023 [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

[illegible]

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible] का पालन करने के लिए कटिबद्ध है:

- ✓ [illegible] के अनुसार [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible]

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

E-mail : [illegible]
Website : [illegible]
Contact : [illegible]

NBCC Centre, 3rd Floor Plot No 2, University Centre
Max Aerodrome Marg Okhla Phase I
NEW DELHI - 110020

DECISION LETTER

Institute Name : Institute ID : [illegible] Educational Institution Of Pharmacy Near Masih Sahab [illegible] Etah
EGN/PCI-ETV
State :UTTAR PRADESH
District :ETAH
Sub-District :Etah
Village/Town/City :Shestalpur
Pin Code :207001

Sir / Madam

With reference to the subject cited above, we are pleased to convey the approval of PCI as per following details

Course	Name of Affiliation	Decision	Action to Taken
B.Pharm	The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus: Nagla Rind Lucknow	Granted approval for 2021-2022 academic session for conduct of 3rd year for 60 admission for B.Pharm course. Allowed 60 admissions in 2021-2022 in 1st year B.Pharm.	Approved
D.Pharm	The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Gura Gobind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh	Extension of approval upto 2021-2022 academic session for 60 admission for D.Pharm course	Approved

Date : [illegible]

Director
[illegible]

For Ashish Mudgal
Registrar-cum-Secretary
PCI

प्रदेश और पंजीय निबन्धन समिति: उत्तर प्रदेश
प्रतिनिधि जिला निबन्धन
संख्या-2877/कार्यालय/2022
लखनऊ दिनांक 23 जून, 2022

- महत्वपूर्ण आदेश

[illegible] प्रदेश के निजी, सार्वजनिक वैधानिक संस्था प्राधिकरण का निबन्धन और पंजीयन का नियमावली [illegible]-2010 अधिनियम-2010 की धारा-14 के अधीन समिति का गठन उत्तर प्रदेश अधिसूचना संख्या-[illegible]/सोलह-1-14(2)/2014 दिनांक 22.12.2014 द्वारा किया गया है।

2. नियमावली-2010 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रतिनिधि जिला निबन्धक के अधीन समस्त निजी क्षेत्र की निजी/विधिक शासित अधिकरण एवं व्यावसायिक संस्थाओं के समस्त कार्यकर्ताओं हेतु वार्षिक कर प्रकरण-दर (एक वर्ष) के लिए कराने सूचना निर्गमित किया जाता है। प्रदेश और पंजीय निबन्धन समिति द्वारा निर्धारित कराने सूचना निर्गमित किया जाता है-

(अ) निजी शासित संस्थाओं हेतु-

निजी क्षेत्र की निजी शासित अधिकरण एवं व्यावसायिक संस्थाओं हेतु-

क्रमांक	संस्थान का नाम	निर्धारित शुल्क सूचना (प्रकाशन से) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)
अ	[illegible]	[illegible]
ब	[illegible]	[illegible]
स	[illegible]	[illegible]
द	[illegible]	[illegible]
य	[illegible]	[illegible]
र	[illegible]	[illegible]
ल	[illegible]	[illegible]
व	[illegible]	[illegible]
श	[illegible]	[illegible]
ष	[illegible]	[illegible]
स	[illegible]	[illegible]
ह	[illegible]	[illegible]
क्ष	[illegible]	[illegible]
त्र	[illegible]	[illegible]
ज्ञ	[illegible]	[illegible]

(ख) विभागीय तकनीकी संस्थानों हेतु–

➢ किसी क्षेत्र की विभागीय तकनीकी संस्थानों में दीर्घ अवधि वाले पाठ्यक्रम एवं अल्पावधि पाठ्यक्रम का शुल्क–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित न्यूनतम शुल्क (रुपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)
01	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग	रु0 30,000.00
02	डिप्लोमा	रु0 40,000.00
03	सर्टिफिकेट	रु0 [illegible]
04	सर्टिफिकेट कोर्स	रु0 31,500.00

➢ किसी क्षेत्र की विभागीय तकनीकी संस्थानों में दो वर्षीय (डी0 फार्म) एवं डिप्लोमा एवं एक वर्षीय वाले पाठ्यक्रमों का शुल्क–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित न्यूनतम शुल्क (रुपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)
01	दो वर्षीय एवं एक वर्षीय वाले पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी0 फार्म एवं डिप्लोमा)	30,000.00

➢ महाराज प्रताप विभागीय तकनीकी संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित न्यूनतम शुल्क (रुपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)
01	समस्त पाठ्यक्रमों हेतु	रु0 [illegible]

उपरोक्त निर्धारित न्यूनतम शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा शुल्क एवं अन्यान्य की धनराशि को प्रत्येक सत्रवार प्रवेश के शुल्क सम्मिलित है। प्रविष्टि शुल्क अभिलिखित आय मदों के शुल्क मदों से कम नहीं होगी।

3. समस्त शुल्क की वसूली की दशा में–

जो संस्थायें निर्धारित न्यूनतम शुल्क को संशोधन करना चाहती हैं, वे अपनी वेबसाइट www.[illegible]2022.[illegible] पर अपना लॉग-इन, यूजरनेम/पासवर्ड तथा निर्धारित प्रारूप पर न्यूनतम शुल्क आदेश निर्गत तिथि से दिनांक [illegible] तक

[illegible] द्वारा निर्धारित मानक सूचक [illegible] हैं तथा उन संबंधों हेतु की 30 दिन [illegible] मानक सूचक की आवश्यक निर्धारित कर दिये जायेंगे।

(राकेश शर्मा)
सचिव

अग्रेषित एवं निम्नवत कार्यवाही–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(i) निदेशक/कुलपति, [illegible] में स्थापित किसी सेवा की किसी एवं विभिन्न [illegible] [illegible] एवं [illegible]।
(ii) [illegible] में स्थापित [illegible] [illegible] एवं [illegible]।
(iii) कुलसचिव, [illegible] विश्वविद्यालय, [illegible]।
(iv) निदेशक, [illegible] शिक्षा, [illegible]।
(v) सचिव, [illegible] शिक्षा परिषद, [illegible]।
(vi) सचिव, [illegible] परीक्षा परिषद, [illegible]।
(vii) [illegible] शिक्षा [illegible]–1 एवं 2, [illegible]।
(viii) [illegible]/सचिव, [illegible] शिक्षा, [illegible] एवं [illegible] एवं [illegible] शिक्षा।
(ix) [illegible]।
(x) [illegible]।

आज्ञा से
(राकेश शर्मा)
सचिव

निदेशक
[illegible]

[illegible] उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत मुआवजा राशि प्राप्ति की 15 दिन के अन्दर निर्णय कर दिये जायेंगे।

4 **ग्रामवार मुआवजे की कार्यवाही की जाना है–**

यदि कार्यवाही का उक्त निर्धारित नक्शा मुआवजे के अन्तर्गत होने की दशा में ग्रामवार मुआवजे के लिए मुआवजे निर्धारित नक्शा बनाने वाली है उसे धारा निजी अधिनियम विधिक संरक्षण प्रदान एवं विनियमन और पीड़ित का निवारण) विनियमावली-2016 के नियम-4(2) एवं उक्त के नियम के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ग्रामवार मुआवजे आदेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 30 दिन के अन्दर अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशन/नोटिस निवारण एवं उक्त पुनर्वास अधिनियम सहित योजना की अधिसूचना वेबसाइट www.[illegible]2016.in पर अथवा जन-सहयोग आयोजन निर्धारित स्थल पर प्रमुख स्थानों पर एवं अन्य संबंधित प्रकाशित प्रकाशन प्रकाशन और पीड़ित निवारण समिति अध्यक्षों सहित पंचायत, तहसील) को उपलब्ध करायी।

(1) संस्थान द्वारा आदेश/प्रस्ताव में दर्शाए गये ग्राम संस्थान की मुआवजा-मुआवजा विवरण सहित तहसील कार्यालय अधिकारी होगा।

(2) संस्थान में यदि कोई त्रुटि/विसंगति अथवा प्रतिवेदन विभागीय/प्रतिवेदन विभाग सहित से सम्बन्धित पात्रताओं की अतिरिक्त सूची जोड़ी अथवा पात्रताओं सम्बन्धित की गई है तो उसका विवरण संस्थान अथवा अधिकारी होगा।

(3) संस्थानों द्वारा आदेश के साथ अथवा प्रतिवेदन निजी अतिरिक्त विधिक संरक्षण प्रदान का विनियमन और पीड़ित का निवारण विनियमावली-2016 के विनियम-4(4) एवं 5 में निर्धारित बिन्दुओं के संबंध में कोई त्रुटि अथवा अस्पष्टता रहेगी, जिसका प्रभाव से पात्रता का कोई अन्य का संरक्षण नहीं मिला जायेगा। एवं संस्थानों द्वारा विभागीय/निजी मुआवजे के सम्बन्धित अतिरिक्त मुआवजे आदि की 30 दिन के अन्दर आयुक्त/[illegible] (phone:[illegible]@gmail.com) की सम्बन्धित की पात्रताओं अथवा अधिकारी होगा। इसके पश्चात विभागीय/निजी के सम्बन्धित अन्य होने वाले अधिकारों एवं समिति द्वारा निकाय किया जाना सम्भव नहीं होगा एवं पात्रताओं अधिकारों की प्रावधान एवं उक्त विनियमावली-2016 के समय प्रतिवेदनों के तहत मुआवजे का आकलन कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

5 **ग्रामवार मुआवजे की कार्यवाही/कार्यवाही न प्रदान करने की दशा में–**

संस्थान विभागी/निजीकरण समिति कार्यवाही को निर्धारित किया जाता है कि ग्रामवार मुआवजे की कार्यवाही अथवा कार्यवाही की कार्यवाही में संस्थान की कार्यवाहियों के स्थानान्तरण के अन्तर विकास आदेशों की पालना के लिए अधिकारी होगा, यदि ये ग्रामवार मुआवजे से सम्बन्धित नहीं अथवा नहीं। किन्तु इसे संस्थान विभागों द्वारा न तो ग्रामवार मुआवजे की कार्यवाही प्रदान की गई और न ही कोई मुआवजे की प्राप्त मुआवजे निर्धारण हेतु 30 दिन के अन्दर आदेश/प्रस्तावित किया है। उक्त कार्यवाही की कार्यवाही में यह मान लिया जायेगा कि सभी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उत्पादन और शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली

(सक्षम)

Production And Tax Reimbursement Online System

SAKSHAM